# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 66/2022
दायर दिनांक :– 18.05.2022

अनवान

1. कालू पिता रघुनाथ माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
2. छोटू पिता रघुनाथ माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
3. रामलाल पिता रघुनाथ माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
4. लेखाराम पिता रघुनाथ माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला

प्रार्थीगण.....

वनाम

1. श्रीमति कंचन देवी पत्नि घीसालाल माली नि. गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
2. किशनलाल पिता घीसालाल माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
3. दुर्गालाल पिता घीसालाल माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
4. प्रियंका पुत्री घीसालाल माली निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
5. छोटू सिंह पिता रामधन दरोगा निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
6. प्रेमराज पिता ओम प्रकाश चाडा जाट निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
7. सकराम पिता बेनाथ जाट निवासी गणपतिया खेडा तहसील फुलियाकला
8. तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री विजय पाराशर, एडवोकेट प्रार्थीगण,

:: आदेश ::  दिनांक 22.08.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम गणपतियाखेडा पटवार हल्का सणगारी मे आ.न. 204, 208, 209, 21, 210, 212, 22, 25 कुल किता 8 कुल रकबा 5.25 हैक्टेयर तथा आ. सं. 214 रकबा 1.08 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी से स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात जिसके दो जमाबन्दीयो के खाते अलग अलग है एवम प्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी में स्थित है। वर्णित कृषि आराजियात को प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की होने से प्रार्थीगण अपनी जमीन को उन्नत करने हेतु अलग अलग बटवाडा करते हुये अपने कब्जे काश्त की कृषि आराजी की तारबन्दी करवा कर उन्नत करना चाहते है लेकिन विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को बटवाडे हेतु दिनाक 13–3–23 को मना कर दिया। वर्णित कृषि आराजियात खाता सं. 171 मे विपक्षीगण जबरन पक्की दिवार बना कर निर्माण कर रहे है जबकि उक्त आराजियात संयुक्त है जिसके कारण बिना बटवाडा व विभाजन के विपक्षीगण उक्त कृषि आराजियात मे पक्का निर्माण नही

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां / भीलवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कर सकते है जिस कारण से विपक्षीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही होगा। इसलिये प्रार्थीगण के पक्ष मे व विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर को जारी को जावे की प्रार्थनापत्र व पेरा दो में वर्णित खाता संख्या 171 मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वय करे न अपने परिजनो एजेण्टो से करावे। व संयुक्त आराजियात का बेचान अन्तरण हस्तान्तरण न तो स्वय करे न अन्य से कराने से बेदखल करने का प्रयास करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। प्रार्थीगण सहखातेदार होने के कारण उक्त आराजी के विभाजन का अधिकार रखता है। परंतु प्रार्थीगण का अन्य 7 व्यक्तियों के साथ विवादित आराजी में हिस्सा निहित है, प्रार्थीगण के हिस्से में विवादित आराजी के कुल क्षेत्रफल 1–08 हैक्टेयर में से बहुत कम क्षेत्रफल आता है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निपेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो आराजी का कुछ हिस्से में अप्रार्थीगण द्वारा दीवार का निर्माण किये जाने की संभावना है। जिससे प्रार्थी को कुछ असुविधा होगी। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को विवादित आराजी में स्वंय में हिस्से में ऋण लिये जाने में असुविधा होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के विंदू प्रार्थीगण अथवा अप्रार्थीगण किसी एक के पक्ष में नही पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
फलियाकलां (भीलवाडा)

Scanned with OKEN Scanner